सं0 454 /उन्तीस(2)/05-2(07पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 06 सितम्बर 2005

विषयः-नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालवाला जलोत्सारण योजनाओं हेतु वर्ष 2005-06 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 231/अप्रेजल-टिहरी/दिनांक 19.05.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालवाला जलोत्सारण योजना के रू0 478.56 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 406.90 लाख (रू0 चार करोड़ छः लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) अनुदान के रूप में तथा रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) ऋण के रूप में अर्थात कुल रू0-50.00 लाख (रू0 पच्चास लाख मात्र) की धनराशि निम्न0 शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः..2

06090500?

(5)स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के अनुसार लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली भाँति निरीक्षण सक्षमाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से टेस्टिंग कराया जायेगा तथा उपयुक्त पाई जाने वाले सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायेगा।

(10)- ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अद्यतन शासनादेश संख्या 921/उन्नीस/04-2(46/10)/2004 दिनांक 28 अप्रैल, 2004 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-87(1)/दस-97- 17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक का होगा ।

(12) अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा ।

(13) सम्बन्धित योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(14) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0, टेंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

(15)कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(16)स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यों हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा कि लागत में वृद्धि न होने पाये ।

क्रमशः

(17) यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा।

2– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किस्तों में आहरित की जायेगी।

3–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई – 01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल – 01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता"के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक–"6215–जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई–आयोजनागत–800–अन्य कर्ज–04–पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 1259/वि0अनु0 –3/2005 दिनांक 01 सितम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0–439 (1)/उत्तरा(2)/05–2(07पे0)/2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल,मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
9–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून

आज्ञा से

(सुनीलश्री पंवरी)
अनु सचिव